कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 1604/ 12-1(52) नई टिहरी, दिनांक– 20/2/2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
चम्बा, टिहरी गढवाल।

विषयः– **जनपद–टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विकासखण्ड थौलधार की सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना। (ऑन लाईन पत्रावली सं0–FP/UK/WATER/29879/2017)**

सन्दर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्याः–95/X–4–18/2(02)/2018, दिनांकः–30–01–2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांकः–2731/FP/UK/WATER/29879/2017, दिनांकः–05–02–2018।

महोदय,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद–टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विकासखण्ड थौलधार की सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाने हेतु कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का निम्न प्रकार बिन्दुवार अनुपालन किया जायेगाः–

1– **शासन की शर्त सं0–01** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) मु0–1,00,000.00 (एक लाख रूपये मात्र) जमा किया जायेगा।

2– **शासन की शर्त सं0–02** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)–202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांकः–05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि मु0–4,79,610.00 (चार लाख उन्नासी हजार छः सौ दस रूपये मात्र) जमा किया जायेगा। एन0पी0वी0 की धनराशि के मांग का आंकलन निम्न प्रकार है :–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांकः–05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है" :–

1– ईको–क्लास श्रेणी – V
2– हरियाली का घनत्व – 0.1
3– एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 – मु0–6,57,000.00 (छः लाख सतावन हजार रू0 मात्र)
4– आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 0.73 है0
5– कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि – 0.73 है0X6,57,000.00=**4,79,610.00**

क्रमशः—2—

3- **शासन की शर्त सं0–03** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

4- **शासन की शर्त सं0–04** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांकः–05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशिों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5- **शासन की शर्त सं0–05** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

6- **शासन की शर्त सं0–06** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

7- **शासन की शर्त सं0–07** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

8- **शासन की शर्त सं0–08** के अनुसार उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

अतः शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन लाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 2269 / 12-1(52) नई टिहरी, दिनांक- 18/4/ 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
चम्बा, टिहरी गढवाल।

विषयः— **जनपद—टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विकासखण्ड थौलधार की सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना। (ऑन लाईन पत्रावली सं0—FP/UK/WATER/29879/2017)**

सन्दर्भः— वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या—95/x—4—18/2(02)/2015, दिनांकः—30—01—2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांकः—2731/FP/UK/WATER/29879/2017, दिनांकः—05—02—2018।

महोदय,

अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांकः—1604/12—1(52), दिनांकः—20—02—2018 से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तों को पूर्ण करने हेतु धनराशि का आंकलन कर मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में आपके द्वारा अपने पत्रांकः—649/107/43, दिनांकः—16—04—2018 से अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2018—19 हेतु निर्धारित दरों के आधार पर जमा कराई जाने वाली धनराशि का आंकलन कर पुनः मांग पत्र आपको प्रेषित किया जाय। उक्त के क्रम में वर्ष 2018—19 हेतु निर्धारित दरों के आधार पर शासन की शर्त सं0—01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि एवं शर्त सं0—02 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि का संशोधित आंकलन कर निम्न प्रकार प्रेषित है जिसके अनुसार प्रश्नगत परियोजना निर्माण हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के सापेक्ष धनराशि जमा की जानी है। इस कार्यालय के पत्रांकः—1604/12—1(52), दिनांकः—20—02—2018 से प्रेषित मांग पत्र में शर्त सं0—01 व 02 के अतिरिक्त अन्य शर्तों का अनुपालन यथावत किया जायेगा।

1— **शासन की शर्त सं0—01** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) मु0—1,10,000.00 (एक लाख दस हजार रूपये मात्र) जमा किया जायेगा।

2— **शासन की शर्त सं0—02** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)—202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0—566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007—एफ0सी0, दिनांकः—05—02—2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि मु0—4,79,610.00 (चार लाख उन्नासी हजार छः सौ दस रूपये मात्र) जमा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी